बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

नेपाल के गढ़ीमाई मंदिर में पशु बलि पर रोक

- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पशुओं को बलि हेतु नेपाल के गढ़ीमाई मंदिर में ले जाने पर रोक लगा दी गई है। गढ़ीमाई मंदिर ट्रस्ट ने भी पशु बलि पर रोक लगाने की घोषणा की है।

- अतः बिहार वासियों विशेषकर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सारण, गोपालगंज, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी आदि जिलों के नागरिकों/श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करें एवं निरीह पशुओं की बलि न दें। पशु बलि कानूनन अपराध है। पशु बलि की जगह फूल, मिठाई एवं नारियल आदि फल अर्पित करें एवं पैसों का सदुपयोग करें।

- ''पशुधन राष्ट्रधन है एवं जीवन की आवश्यकता है।'' पशुओं को संरक्षित करें। कानूनी और सामाजिक जिन्दगी जीने का अधिकार पशुओं को भी है। सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहण करें एवं गढ़ीमाता का आशीर्वाद प्राप्त करें।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार द्वारा जनहित में प्रचारित